HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Execution First Appeal No. 19/2026
URN: EXFA / 28U / 2026

State Of Rajasthan, Directorate of Estate, 301, Mini Secretariat, Banipark, Jaipur.

----Appellant

Versus

Smt. Sarafraj Rana and others

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Manoj Sharma, AAG Mr. Abhishek Sharma Ms. Pooja Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. M.M. Ranjan, Sr. Adv. assisted by Mr. Lokesh Tiwari and Mr. Samar Pratap Singh (for Respondent No. 1 & 5)

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI
Order

16/07/2026

S.B. Civil Misc. Stay Appl. No. 2883/2026 In

Execution First Appeal No. 19/2026:-

स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 2883/2026 पर उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि विद्वान न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–01, जयपुर महानगर प्रथम ने उज्रदारी प्रकरण संख्या 21/2024 में आदेश दिनांक 08.05.2026 विधि–विरुद्ध निर्णीत किया गया है। वादग्रस्त संपत्ति अपीलार्थी के स्वामित्व की संपत्ति है। प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से राजीनामा दिनांक 11.05.1978 व दिनांक 09.05.1979 प्रस्तुत कर वाद को राजीनामे के आधार पर डिक्री करा लिया, जिसकी जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 11.07.2024 को हुई और उन्होंने सरकारी संपत्ति होने के आधार पर उज्रदारी की, जिस पर विद्वान निष्पादित न्यायालय ने बिना किसी न्यायोचित आधार के उज्रदारी निरस्त कर दी। उसके विरुद्ध अपीलार्थी की ओर से यह सिविल निष्पादन प्रथम अपील प्रस्तुत की है। यदि डिक्रीदार द्वारा निर्णय दिनांक 09.05.1979 की पालना कर दी गई या निष्पादन

की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई तो उससे अपीलार्थीगण के अपील करने का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि डिक्रीदार की ओर से मूल वाद विवादित संपत्ति की संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का प्रस्तुत किया गया था, जो दिनांक 09.05.1979 को जरिये राजीनामा डिक्री हुआ, जिस व्यक्ति ने विवादित संपत्ति का बेचान किया था, वह स्वयं के स्वामित्व से बाद में मुकर नहीं सकता तथा अपने आचरण के आधार पर एस्टोपल से बाधित है। दिनांक 09.05.1979 की डिक्री में अपीलार्थी राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। विवादित संपत्ति का पट्टा मौलवी मोईनुद्दीन खां को दिया गया था, जो प्रदर्श–ए 9 है। रजिस्टर में इंद्राज के आधार पर अपीलार्थी द्वारा वाद की संपत्ति राज्य सरकार के स्वामित्व की संपत्ति बताई गई है, जबकि इस संबंध में कोई भी दस्तावेज अपीलार्थी/राज्य सरकार के पास नहीं है। ऐसी स्थिति में निष्पादन की कार्यवाही को रोके जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है।

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–01, जयपुर महानगर प्रथम ने उज्रदारी प्रार्थना पत्र वाद संख्या 13/1972 (127/1974) उनवानी अहसान अहमद व अन्य बनाम गुलाम मोईउद्दीन व अन्य में निर्णय दिनांक 09.05.1979 को निर्णीत किया था। दिनांक 09.05.1979 से जुलाई 2024 तक अपीलार्थी/राज्य सरकार द्वारा वादग्रस्त जमीन के संबंध में अपने स्वामित्व के होने के बारे में किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं किया गया और न ही उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.1979 को अपास्त करवाने के संबंध में कोई कार्यवाही की गई। विद्वान न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–01, जयपुर महानगर प्रथम ने उज्रदारी प्रकरण संख्या 21/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2026 में यह कहा है कि अपीलार्थी/उज्रदार ने वादग्रस्त संपत्ति राज्य सरकार के स्वामित्व की होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है तथा वादग्रस्त संपत्ति पर अपीलार्थी/राज्य सरकार का कभी कब्जा भी नहीं रहा है। विद्वान विचारण न्यायालय ने रजिस्टर में प्रविष्टियों के आधार पर अपीलार्थी/राज्य सरकार का वादग्रस्त संपत्ति का स्वामित्व होना नहीं माना है।

अतः पत्रावली के अवलोकन से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.1979 को स्थगित किए जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है, इस संबंध में यदि गुणावगुणों पर कोई मत व्यक्त किया जाता है तो अपील के गुणावगुणों पर निस्तारण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

तद्नुरूप उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर निस्तारित किया जाता है।

S.B. Execution First Appeal No. 19/2026:-

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि पी.एफ. व नोटिस प्रस्तुत होने पर प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 तथा 6 से 15 को नियमानुसार नोटिस जारी किए जावें तथा प्रकरण से संबंधित अभिलेख तलब किया जावे।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

Kishan Soni/2